

फर्द अहकाम

श्रवण बनाम अनिता

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 77/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
-------------	---------------------------	----------------------	-------

18/03/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार बस्सी के पत्रांक अ.अ. 12024/77 दिनांक 13.02.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। वादी अधिवक्ता ने तहसीलदार बस्सी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादपत्र में अंतिम डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। वादी अधिवक्ता को वादपत्र में संलग्न विभाजन प्रस्ताव पर पुना गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर न्यायद्विती की ध्यान में रखते हुए मुताबिक तहसीलदार बस्सी विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.02.2024 का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पत्र जारी है। इस आशय की तहसीलदार बस्सी को जारी है।

पत्रावली फंसल पुमाक होकर नम्बर से कम है।

यह निर्णय आज दिनांक 18/3/24 को मुकदमा न्यायालय में पुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बस्सी

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई
(ओ. 20 रुल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी मुकुट सिंह (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. श्रवण पुत्र मंगला जाति मीना निवासी खोरी तह. बस्सी जिला जयपुर		1- अनिता पुत्री शम्भूदयाल 2- अशोक पुत्र शम्भूदयाल 3- कविता पुत्री शम्भूदयाल 4- कालूराम पुत्र किशनलाल 5- छोटीलाल पुत्र किशनलाल 6- ताराचन्द पुत्र किशनलाल 7- देवनारायण पुत्र शम्भूदयाल 8- भागीरथ पुत्र मंगला 9- रेखा पुत्री शम्भूदयाल 10- राजेन्द्र पुत्र किशनलाल 11- रामकुमार पुत्र मंगला 12- संतोष पुत्री किशनलाल 13- सन्तोष पुत्री शम्भूदयाल 14- सुमित्रा पुत्री किशनलाल 15- सावित्री पुत्री शम्भूदयाल 16- हरफूल पुत्र किशनलाल समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खोरी तहसील बस्सी जिला जयपुर। 17- मैनेजर, बैंक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा झर तहसील बस्सी जयपुर। 18- उप पंजीयक महोदय बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर। 19- सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. कारतकारी अधि. 1955

मु0न0 77/2023

निर्णय दिनांक 18.03.2024

मुताबिक तहसीलदार बस्सी विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.02.2024 का अनुमोदन किया जाकर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 532/405 रकबा 1.3909 हैक्ट., खसरा नम्बर 533/405 रकबा 0.6323 हैक्ट., खसरा नम्बर 537/405 रकबा 0.3793 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 2.4025 हैक्ट स्थित ग्राम खोरी प.ह. झर भू.अ.नि. दूधली तहसील जिला जयपुर में से खसरा न. 532/405/6 रकबा 0.3105 हैक्ट., खसरा न. 533/405/3 रकबा 0.1700 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.4805 हैक्ट. की भूमि खातेदार श्रवण पुत्र मंगला जाति मीना सा.देह राहिन रा.म.ग्रा.बैंक शाखा झर के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 532/405/2 रकबा 0.3105 हैक्ट., खसरा न. 533/405/2 रकबा 0.1700 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.4805 हैक्ट. की भूमि खातेदार भागीरथ पुत्र मंगला जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 532/405/1 रकबा 0.3282 हैक्ट.,

खसरा न. 532/405/3 रकबा 0.0100 हैक्ट., खसरा न. 533/405/4 रकबा 0.1423 हैक्ट कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.4805 हैक्ट. की भूमि खातेदार रामकुंवार पुत्र मंगला जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन रा.म.ग्रा.बैंक शाखा झर के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 537/405 रकबा 0.3793 हैक्ट., खसरा न. 532/405/5 रकबा 0.2277 हैक्ट. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.6070 हैक्ट. की भूमि खातेदार अनिता पुत्री शम्भुदयाल हि. 1/7 जाति पुत्री शम्भुदयाल हि. 1/7 सावित्री पुत्री शम्भुदयाल हि. 1/7 संतोष पुत्री शम्भुदयाल 1/7 रेखा पुत्री शम्भुदयाल हि. 1/7 अशोक पुत्र शम्भुदयाल हि. 1/7 बनारायण पुत्र शम्भुदयाल हि. 1/7 जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी तथा खसरा न. 532/405/4 रकबा 0.1840 हैक्ट., खसरा न. 533/405/1 रकबा 0.1700 हैक्ट. कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.3540 हैक्ट. की भूमि खातेदार छोटीलाल ताराचन्द जेन्द्र हरफूल कालूराम पि. किशनलाल हि. 5/7 सन्तोष सुमित्रा पुत्रिया किशनलाल हि. 1/7 जाति मीना सा. देह खातेदार के हिस्से में रहेगी। तहसीलदार बस्सी उक्तानुसार जख रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। कुर्रैजात व नक्शे बाद अनुमोदन तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे। ।.....निजी.....

.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा
इस मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख मूलियाव तक.....को अदा करें।

सख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.03.2024 को जारी किया गया।

हर

दस्तख्त.....

ओहदा.....
 सहायक कलेक्टर
 बस्सी जिला जयपुर

ददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
ग्राम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
ग्राम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
ग्राम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
हन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
पोस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबतइजराय			बाबतइजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

टि:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये देखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(मुकुट सिंह)

सहायक कलेक्टर
 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण